छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल

मुख्यालय, पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर जिला–रायपुर (छ.ग.)
Ph.No.-0771-2512121, Website:-www.cghb.gov.in

!! आदेश !!

क्रमांक – 33
दिनांक 23/12/2020

विषयः–पूँजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं आकस्मिक व्यय की दरों में संशोधन किए जाने बाबत्।

---000---

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के 66वॉ मण्डल सम्मिलन दिनांक 09.12.2020 के पद संख्या क्रमांक 03 पर पारित सकल्प कमांक 1846/03/66/12/2020 के द्वारा संचालक मण्डल द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा निर्मित आवासीय/व्यवसायिक संपत्ति के मूल्य निर्धारण में सम्मिलित किए जाने वाले पूँजीगत ब्याज, पर्यवेक्षण शुल्क एवं आकस्मिक व्यय की दरों में मण्डल समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार संशोधित दरों पर अनुमति प्रदान करता है :–

संपत्ति का प्रकार	पूँजीगत ब्याज की दर	पर्यवेक्षण शुल्क की दर	आकस्मिक व्यय की दर
ई.डब्ल्यू.एस.	6%	8%	1%
एल.आई.जी.	6%	8%	1%
एम.आई.जी.	8%	8%	1%
एच.आई.जी.	8%	8%	1%
भूखण्ड (विकास कार्य)	10%	10%	1%
व्यवसायिक (शैक्षणिक एवं स्वस्थ्य संबंधी योजनाऍ सम्मिलित)	12%	14%	1%

- संशोधित पूँजीगत ब्याज की दरे पूर्व से निर्मित अविकित संपत्ति पर भी लागू होगी। अटल आवास, दीनदयाल आवास योजना तथा अन्य योजना जिसमें पूर्व में विशेष रुप से आदेशित है, में पूँजीगत ब्याज की दरें यथावत् रहेगी।
- विशेष योजना एवं निक्षेप कार्य हेतु पर्यवेक्षण की शुल्क की दरें पूर्ववत् रहेगा।
- आकस्मिक व्यय में संशोधन परिपत्र जारी होने की तिथि से समस्त योजनाओं में लागू होगा।

अन्य सभी प्रकार की कार्यवाही हेतु आयुक्त छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल को अधिकृत् किया जाता है।

आयुक्त
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल
पर्यावास भवन, नवा रायपुर अटल नगर
जिला–रायपुर (छ.ग.)

क्रमशः–02